

उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या:- 790 / XVII-3 / 10-36(स0क0) / 2002 टी0सी0-3
देहरादून: दिनांक: 22 जून, 2010

अधिसूचना

वक्फ अधिनियम, 1995, (अधिनियम संख्या-43, सन् 1995) की धारा-14 की उप धारा (9) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते, राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित व्यक्तियों को सरकारी अधिसूचना संख्या-2416/स0क0/2003-36(स0क0)/2002 दिनांक 06 सितम्बर, 2003 द्वारा स्थापित उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करते हैं:-

1. मोहम्मद शहजाद,
सदस्य विधानसभा, उत्तराखण्ड,
बहादुराबाद, हरिद्वार।
2. हाजी तरालीम अहमद,
सदस्य विधानसभा, उत्तराखण्ड,
मालवाग, हरिद्वार।
3. सुश्री रजिया बेग,
अधिवक्ता,
60-घोसी गली,
देहरादून।
4. मोहम्मद अकरम,
इन्तेजामिया कमेटी,
जामा मस्जिद, रामनगर,
नैनीताल।
5. श्री हफीजुर्रहमान,
38, मौहल्ला सती,
रुड़की, हरिद्वार।
6. डॉ० जाकिर हुसैन,
15-गांधी नगर,
हल्द्वानी-नैनीताल।
7. श्री असगर अली,
ग्राम-जैनपुर झंझेड़ी,
लण्ढौरा, नारसन,
हरिद्वार।
8. श्री मुफती रईस अहमद कासमी,
आजाद कॉलोनी, निकट-आई०एस०बी०टी०,
देहरादून।
9. श्री हाजी राव शराफत अली,
साबरी कॉलोनी, गली नं०-2,
पिरान-ए-कलियर शरीफ,
रुड़की, हरिद्वार।

उत्तरांचल शासन
समाज कल्याण विभाग
संख्या: 2416/स.क./2003-36(समाज कल्याण)/2002
देहरादून: दिनांक: 06 सितम्बर, 2003

अधिसूचना

केन्द्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995(अधिनियम संख्या 43, 1995) की धारा-102 की उपधारा-2 के अधीन पारित आदेश के अनुसरण में तथा दिनांक 31 अगस्त 2002 की अधिसूचना संख्या 1810/स.क.-02-36(कल्याण)/2002 का अतिक्रमण करते हुए महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल उक्त अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उत्तरांचल वक्फ बोर्ड के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

एस. के. मुद्दू
सचिव

संख्या: 2416 (1)/स.क./2003 तददिनांक

प्रतिलिपि: उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुडकी(हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर गजट की 500 प्रतियाँ समाज कल्याण अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(गरिमा रौकली)
अनु सचिव

संख्या: 2416 (2)/स.क./2003 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- 1 निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल उत्तरांचल
- 2 निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री उत्तरांचल
- 3 निजी सचिव मा. मंत्री समाज कल्याण उत्तरांचल